दिनांक 07.09.2019 को Shri Jitendra Singh S/o Shri Aan Singh R/o Vill. Supitaal, Khurpankha, Distt. Nainital के खनन कार्य हेतु प्रस्तावित 6.00 हैक्टेयर भूमि Kh no.-55 mi, 65 mi, 68 mi, 69 mi and 70 mi Vill- Ukroli, Teh-Sitarganj, Distt. Udham Singh Nagar की Sand, Bajri and Boulder (Area-6.0Ha-Production-198000 MT/Year) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

Shri Jitendra Singh Khasra no.-55 mi, 65 mi, 68 mi, and 70 mi Vill- Ukroli, Teh-Sitarganj, U.S.Nagar की Sand, Bajri and Boulder (Area-6.0Ha- Production-198000 MT/Year) उत्पादन हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक सुनवाई हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र ''अमर उजाला'' (उत्तराखण्ड संस्करण)'' व ''दि टाईम्स ऑफ इण्डिया'' (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 29.07.2019 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा नामित श्री जय भारत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.19 को प्रातः 11:00 बजे से प्रस्तावित स्थल के समीप ग्राम उकरौली में लोक सुनवाई आयोजित की गई। उक्त लोक सुनवाई में कुल 93 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही (संलग्नक–1)। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था Globas Environment Engineeing Services, लखनऊ द्वारा बनाई गयी ई.आई.ए. रिपोर्ट पर परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया है। जिसका सारांश निम्नानुसार हैः–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल Khasra no.-55 mi, 65 mi, 68 mi, 69 mi and 70 mi Vill- Ukroli, Teh-Sitarganj, U.S.Nagar राज्य, उत्तराखण्ड में है। संयत्र स्थल के भौगोलिक स्थित (Pillar A- Latitude (N)-29°02′20.31 Longitude (E)-79°41′36.28′′ Pillar B- Latitude (N)-29°02′21.93 Longitude (E)-79°41′41.71′′, Pillar C- Latitude (N)-29°02′13.91 Longitude (E)-79°41′41.33′′, Pillar D- Latitude (N)-29°02′07.97′′ Longitude (E)-79°41′42.17′′, Pillar E-Latitude(N)-29°02′05.09 Longitude (E)-79°41′37.32′′है।

2. परियोजना प्रस्ताव में बताया गया है कि प्रस्तावित स्थल के 17 किमी उत्तर पश्चिम दिशा में पन्तनगर रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग 125 (12 किमी0), निकटतम कस्बा सितारगंज–12 किमी0, दक्षिण दिशा में है।

3. परियोजना प्रस्ताव में बताया गया है कि कोई भी लुप्तप्राय प्रजाति, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव गलियारा या कोई संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।

4. परियोजना प्रस्ताव में बताया गया है कि खनन कार्य खुली खदान में मैनुअल विधि से किया जायेगा। खनन कार्य के दौरान ड्रिलिंग/ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। खनन कार्य केवल दिन में किया जायेगा। खनन के दौरान अधिकतम गहराई 1.5 मीटर रखी जायेगी।

Scanned by CamScanner

5. उद्योग द्वारा Sand, Bajri and Boulder -198000 MT/Year उत्पादन का प्रस्ताव दिया गया है।

6. प्रस्तावित खनन कार्य के दौरान कुल जल खपत 7 किली0 प्रतिदिन है।

7. उद्योग हेतु कुल क्षेत्रफल 6.0Ha है। परियोजना की कुल लागत रू0 1.28 करोड प्रस्तावित है।

8. प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत ''बी 1'' श्रेणी मे आच्छादित है।

9. प्रस्तावित परियोजना में सीईआर लागत 2.565 लाख बजट का प्रावधान दिया गया है, जिसको गरीबी व मेधावी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति, ग्रामवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर आयोजन, स्वच्छ पेयजल हेतु सहायता, नवयुवकों विषेशकर कन्याओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण प्रोत्साहन हेतु शिविर, ग्राम पंचायतों एवं जन प्रतिनिधियों से सतत संवाद रखते हुए क्षेत्र के विकास की पहल, आस–पास की भूमि में जनप्रतिनिधियों एवं समुदाय की राय के अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम में खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

10. प्रस्तावित परियोजना में 162 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है व अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा दिया जाना भी प्रस्तावित है।

11. प्रस्तावित परियोजना में बताया गया कि शोर का स्तर अध्ययन क्षेत्र में 6 स्थानों (इण्डस्ट्रीयल, साइलेंट, आवासीय) पर लिया गया। रात्रि के समय ध्वनि का स्तर (Leg) 34.3 डीबी(ए) से 40.0 डीबी(ए) व दिन के समय 54.6 डीबी(ए) से 58.5 डीबी(ए) पाया गया।

12. वर्तमान रिपोर्ट मे पानी की गुणवत्ता नापने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले हैण्डपम्प, ट्यूबवेल (भूजल) के 8 नमूने और कैलाश नदी के 4 नमूने लिए गये।

13. प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण प्रबन्धन योजना यथा प्रदूषण मॉनीटरिंग–1.5 लाख/वर्ष, पानी का छिडकाव हेतु–1.0 लाख/वर्ष, तार फेन्सिंग–0.5 लाख/वर्ष, वृक्षारोपण–1.0 लाख/वर्ष, हॉल रोड, रोड रिपेयरिंग–1.0 लाख/वर्ष तथा लोक स्वास्थ्य–0.5 लाख/वर्ष कुल 5.5 लाख/वर्ष की लागत प्रस्तावित है।

14. प्रस्तावित परियोजना में श्रमिको हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, बायो टॉयलेट्स, स्वच्छ पानी, डस्टविन, प्राथमिक चिकित्सा किट व हैल्थ चैकअप कैम्प का प्रस्ताव दिया गया है।

15. प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम में हरित पट्टिका का विकास, वृक्षारोपण कार्यकम के तहत 500 पेड़, संगठित टीम के द्वारा समय–समय पर पौधों का सत्यापन किया जाना प्रस्तावित है।

16. प्रस्तावित परियोजना मे शोर, वातावरण पर प्रभाव एवं नियंत्रण हेतु प्रस्ताव दिया गया है कि कम ध्वनि वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। वाहनो की स्पीड

Scanned by CamScanner

20 किमी0 निर्धारित की जायेगी। वाहन चालकों को कम से कम ध्वनि हार्न का उपयोग करने का निर्देश दिया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष महोदय, नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में सभा मे उपस्थित जन समुदाय को सुझाव एवं आपत्तियाँ लिखित व मौखिक रूप से प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री रामकुमार, ग्राम–उकरौली**, द्वारा कहा गया कि खनन कार्य मानको को ध्यान में रख कर किया जाय। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जल स्तर 15 फिट से गिरकर 40 फिट तक चला गया है। साथ ही बताया गया कि जिस जमीन पर खनन प्रस्तावित है उसके निकट कृषि योग्य है। खनन इस प्रकार किया जाय कि किसी कि सम्पत्ति/कृषि भूमि को नुकसान न हो।

   उनके द्वारा क्षेत्र की समस्या के बारे मे बताया गया कि उकरौली गांव दो हिस्सो मे बंटा है व बीच में वर्तमान में नदी बहती है। बरसात के दौरान जल का स्तर काफी बढ़ जाता है तथा गांव के बच्चों, महिलाओं व सभी को आवागमन में परेशानी होती है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त नदी पर एक झूला पुल का निर्माण करवाया जाय तथा खनन मार्ग को ठीक किया जाय। पूर्व में किये गये खनन कार्य से मार्ग अत्यन्त खराब हो गये हैं, यदि गांव में कोई बीमार होता है तो एम्बुलेन्स आने व जाने में काफी समय लग जाता है तथा इससे मरीजों को जान का खतरा बना रहता है। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी खनन कार्य हुआ है, किन्तु क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। उनके द्वारा शिक्षा के विकास, खनन के दौरान कार्य कर रहें मजदूरों हेतु शेड, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जो कहा जा रहा है उसे पूर्ण भी किया जाय। उनके द्वारा अपनी बातों को प्रशासन स्तर तक रखने हेतु भी अनुरोध किया गया। उन्होनें कहा की वह खनन होने का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि यदि खनन कार्य होता है तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

   उक्त के पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि जो भी आप बोलें निष्पक्ष होकर बोलें। श्री रामकुमार को बताया गया कि आपके द्वारा जो भी कहा जा रहा उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है व आपके द्वारा जो बात कही जा रही है उसे नोट किया जा रहा है, जिसे इस सुनवाई कि रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जायेगा।

2. **श्री मदनलाल, ग्राम–उकरौली** उनके द्वारा बताया गया कि क्षेत्र भौगोलिक स्थित ठीक नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी वन निगम द्वारा खनन कार्य हुआ है, किन्तु क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही जाती है, किन्तु रोजगार दिया नहीं जाता। पूर्व में जो खनन कार्य हुए उस कारण मार्ग अत्यन्त खराब हो गये। स्कूल के बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। उनके द्वारा खासतौर पर गांव का रास्ता, स्वास्थ्य, जल की समस्या को ठीक किये जाने पर जोर दिया। गांव में कोई बीमार

Scanned by CamScanner

होता है तो एम्बुलेन्स आने व जाने मे काफी समय लग जाता है तथा इससे मरीजों को जान का खतरा बना रहता है। उनके द्वारा शिक्षा के विकास, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही। उनके द्वारा पूछा गया कि खनन कार्य कितने क्षेत्र पर किया जा रहा है।

इस पर पट्टा मालिक श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि खनन क्षेत्र 6.0 हैक्टेयर में किया जायेगा। श्री मदनलाल द्वारा खनन कार्य का विरोध नहीं किया गया, किन्तु खनन कार्य के साथ–साथ गांव की समस्या का निदान करने की बात कही गयी। उनके द्वारा गांव की समस्या को प्रशासन स्तर तक ले जाने हेतु अनुरोध किया गया।

3. **श्री राजवीर सिंह, ग्राम–उकरौली,** द्वारा पूछा गया कि किस जमीन (खसरा नम्बर) पर खनन किया जाना प्रस्तावित है। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में अभी मकान बने हैं। उनके द्वारा जमीन (खसरा नम्बर) स्पष्ट ना होने की बात कही है। उनके द्वारा कहा गया कि रास्तों की हालत काफी खराब है। रास्तो में काफी गढ्ढे हो गये है। धूल–मिट्टी काफी मात्रा में उड़ कर आती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ हो चुकी हैं। घरों में भी धूल जमा हो जाती है। गढ्ढों के भरान हेतु पूर्व में कई बार जाम व धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके पश्चात कभी कभार ही गढ्ढो के भरान का कार्य किया गया, परन्तु इसका कोई फायदा नहीं होता। उनके द्वारा कहा गया कि वह खनन का विरोध नहीं करते हैं, किन्तु गांव की समस्या को ध्यान रखने तथा खनन कार्य उसी जमीन (खसरा नम्बर) पर किया जाय, जो स्वीकृत हुआ।

4. **श्री मलकीत सिंह, ग्राम–उकरौली,** द्वारा पूछा गया कि जमीन किस वर्ग की है, जिस पर पर खनन किया जाना प्रस्तावित है। उनके द्वारा जमीन (खसरा नम्बर) स्पष्ट ना होने की बात कही। उनके द्वारा पट्टा स्वामी से खसरा नम्बर स्पष्ट रूप से बताने हेतु कहा गया। जिस पर पट्टा स्वामी श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि यह वर्ग बी 1 की जमीन है तथा 55मि0(55/5, 55/8, 55/6, 55/9) 65मि0,(65/11), 68मि0, 69मि0, 70मि0 खसरा नम्बर है। इसके पश्चात मलकीत सिंह द्वारा उक्त सम्बन्ध में उनके द्वारा दिखाये गये प्रपत्रों का अवलोकन किया गया, किन्तु उनके द्वारा उक्त सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त नहीं की गयी। उन्होनें भी रास्तों की हालत काफी खराब होने की बात कही गयी। रास्तो में काफी गढ्ढे होने के कारण आवागमन में परेशानी होने की बात कही गयी तथा गांव में जब कोई बीमार होता है तो उन्हे आने जाने मे काफी समस्या होती है। गांव की समस्या को ध्यान रखने तथा खनन कार्य उसी जमीन (खसरा नम्बर) पर किया जाय, जो स्वीकृत हुआ।

उक्त पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि यदि खसरा नम्बर दिया गया है तो वह जांचोपरान्त ही दिया गया होगा। उनके द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में कोई समस्या हो तो पटवारी जो लोक सुनवाई में उपस्थित हैं, उनसे वार्ता कर ली जाय।

Scanned by CamScanner

5. **श्री गुरदीप सिंह, टांर्सपोर्टर, सितारगंज,** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य का कोई विरोध नहीं है। खनन कार्य होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण मानको को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किया जाय। उनके द्वारा कहा गया कि जो भूमि स्वीकृत हुई है उसी पर खनन कार्य किया जाय किसी की प्राईवेट भूमि पर खनन कार्य ना किया जाय। रास्ते का चौड़ीकरण किया जाय, जिससे वाहनों के आवागमन में कोई समस्या ना हो तथा निरन्तर पानी का छिडकाव किया जाय। खनन कार्य में गांव वालों को प्राथमिकता व विश्वास में लेकर किया जाय। खनन कार्य में स्थानीय लोगो को रोजगार मिलनी चाहिए। खनन कार्य में ट्रांसपोर्ट हेतु स्थानीय वाहनों को ही लगाया जाय। खनन कार्य में वाहन लगाये जाने से पूर्व वाहन स्वामी का आधार कार्ड जमा करवाया जाय तथा बाहरी वाहनों से कार्य नहीं कराया जाय।

6. **श्री मदनलाल, ग्राम–उकरौली,** द्वारा बताया गया कि 02 वर्ष पूर्व भी तहसीलदार द्वारा सही रिपोर्ट नहीं दी गयी थी। उनके द्वारा ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया गया। उनके द्वारा ठीक प्रकार से भूमि की जांच होने के पश्चात ही खनन कार्य किये जाने की बात कही गयी।

7. **श्री विनोद कुमार, ग्राम–उकरौली** द्वारा सर्वप्रथम पर्यावरण के मानकों के बारे में पूछा गया साथ ही कहा गया कि यदि खनन पर्यावरण के मानको के अनुरूप नहीं होता है तो इस खनन कार्य में मेरा विरोध है। इनके द्वारा रात्रि में खनन के वाहनों के आवागमन में भी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि खनन क्षेत्र से वाहनों का रात्रि में 12 बजे के बाद भी आवागमन लगा रहता है जिससे काफी शोर होता है। वाहनो के निकलने से घरों में अत्याधिक धूल जमा हो जाती है तथा पानी व खाद्य पदार्थो को नुकसान होता है। धूल से बचाव हेतु दिन में 2–3 बार पानी का छिड़काव करवाने की बात कही गयी। उनके द्वारा प्रदूषण की समस्या को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया। धूल की समस्या तथा सड़कों का चौड़ीकरण करने की बात कही गयी, जिससे प्रदूषण सम्बन्धी समस्या उत्पन्न ना हो। उनके द्वारा अन्त में कहा गया कि खनन का विरोध नहीं है किन्तु खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाय।

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि यदि खनन कार्य होगा तो वाहन भी आयेंगे, धूल भी उड़ेगी व धुंआ भी होगा। उनके द्वारा कहा गया कि यदि आपको खनन कार्य से विरोध है तो स्पष्ट रूप से कहें या लिखित रूप में दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि यह लोक सुनवाई पट्टे की है। उचित होगा कि पक्ष व विपक्ष पर ही बोलें।

8. **श्री जोधनाथ, ग्राम–उकरौली,** द्वारा कहा गया कि गांव को हटाकर दूसरी जगह बसा दो। उनके द्वारा कहा गया कि बरसात के समय में नदी से इस पार से उस पार जाने मे काफी परेशानी होती है। उनके द्वारा एक झूला पुल लगाये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे की स्कूल के बच्चों को आने–जाने में कोई समस्या न हो। उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य हेतु बाहर से लोग आते हैं और बाहरी वाहन चलाये जाते हैं।

Scanned by CamScanner

9. **श्री चन्द्रशेखर, ग्राम–उकरौली,** द्वारा कहा गया कि खनन से कोई आपत्ति नहीं है समस्या आने–जाने हेतु मार्ग की है। बताया गया कि खनन हेतु प्रस्तावित भूमि का ठेकेदार, राजस्व विभाग व ग्रामवासियों के साथ मौका निरीक्षण कर गाटा संख्या के अनुसार ही किया जाय। ग्रामवासियों को विश्वास में लेकर ही खनन कार्य किया जाय।

10. **श्री राम प्रवेश, ग्राम–उकरौली,** द्वारा कहा गया कि खनन के दौरान 10वीं व 12वीं की परीक्षायें प्रारम्भ हो जाती हैं। वाहनों के आवागमन के कारण काफी शोर होता है जिससे बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। उनके द्वारा कहा गया कि गांव का रास्त अत्यन्त संकरा है। खनन के वाहनों के आवागमन हेतु अलग से रास्ता होना चाहिए। इसके बाद उनके द्वारा जल प्रदूषण से अवगत कराया गया। रास्तों में सुरक्षा के दृष्टिगत खनन हेतु अलग से सड़के बनवाने, ठोकर बनवाने, पानी का छिड़काव करवाये जाने हेतु कहा गया। उनके द्वारा खनन हेतु प्रस्तावित भूमि की मौके पर जाँच करवाये जाने हेतु कहा गया।

11. **श्री सुरेश कुमार, ग्राम–उकरौली,** द्वारा कहा गया कि उनके बच्चे रोज नदी पार करके स्कूल जाते हैं। साथ ही कहा गया कि नदी के आर–पार जाने हेतु एक झूला पुल होना चाहिए, जिससे गांव के सभी बच्चो को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। खनन के बाद नदी में काफी कटाव हुआ है। पहले इस प्रकार का कटाव नहीं था।

12. **श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम–उकरौली,** द्वारा कहा गया कि पट्टेधारक मानको के हिसाब से खनन नहीं करते हैं। खनन कार्य से नदी गहरी हो गयी है। जे.सी.बी. द्वारा खनन कार्य करने से गहरे गढ्ढे हो गये हैं। खनन कार्य हेतु रास्ता अलग से होना चाहिए। उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध नहीं किया गया। उनके द्वारा मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किये जाने की बात कही।

13. **श्री चनेश्वर प्रसाद, ग्राम–उकरौली,** द्वारा कहा गया कि रास्ते को ठीक किया जाये। खनन वाहनों को गांव के रास्ते से नहीं जाने दिया जायेगा, इसके लिए अलग से रास्ता बनाया जाय। खनन कार्य कृषि भूमि से 100 मीटर छोड़कर किया जाय।

14. **श्री इन्दर प्रसाद, ग्राम–उकरौली,** द्वारा कहा गया कि पर्यावरण के समस्त मानको के अनुसार कार्य होने पर खनन में सहमती है अन्यथा कि स्थिति में खनन पर आपत्ति है।

15. **श्री नत्थू सिंह, ग्राम–उकरौली**, द्वारा कहा गया कि हमारी भूमिधरी जमीन को छोड़कर कहीं भी खनन का कार्य किया जाय, इस खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

16. **श्री सूरज, ग्राम–बिलौरा, द्वारा,** कहा गया कि खनन कार्य होने रास्ते जाम हो जाते हैं जिससे हमें अपने घर आने में लेट हो जाता है। हमें नदी पार करके अपने काम पर जाना पड़ता है। माह नवम्बर से माह जून तक जाम की स्थिति बनी रहती है।

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात पूर्व वक्ता श्री राजवीर सिंह द्वारा एक ज्ञापन लिखित रूप में दिया गया। उनके द्वारा उक्त ज्ञापन को जन सुनवाई में उपस्थित समस्त लोगों के समक्ष पढ़ने की अनुमति मांगी तथा ज्ञापन पढ़कर सुनाया गया। उक्त ज्ञापन गांवो वालो के हस्ताक्षर के पश्चात दिया गया, जिसे इस लोक सुनवाई का हिस्सा बनाया गया।

तद्पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थिति लोगो को पुनः अपनी बात लिखित या मौखिक रूप से रखने को कहा गया जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा बात लिखित या मौखिक रूप से नहीं रखी गयी।

उपरोक्त जन समुदाय की आपत्तियों/सुझावों को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी करायी गयी। उपस्थित जनसभा को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई में की गई वीडियोग्राफी की डी०वी०डी०, फोटोग्राफ्स एवं उपस्थिति की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर के माध्यम से मा० सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, आई. टी. पार्क, देहरादून को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

13/09/19

(अनुराग नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
उ0प0सं0 एवं प्र0नि0बो0, काशीपुर
उधमसिंह नगर

13.09.19

(जय भारत सिंह)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
उधमसिंह नगर

Scanned by CamScanner

क्र०सं०	नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री जय भारत सिंह, नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	8859502012	
2.	श्री अनुराग नेगी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०) एन्० ई० पी० पी० सी० बी० काशीपुर।	9897074103	
3.	गणेश तिवारी S/o श्री देवीदत्त तिवारी ग्राम कल्यानपुर सिसौना	9568268661	गणेश
4.	ज्ञानानसिंह S/o स्व० जोगेन्द्र सिंह ग्राम बसगर सितारगंज	9548017770	
5.	रणबीर सिंह S/o जसवन्त सिंह ग्राम कल्यानपुर सितारगंज	9719621278	
6	बिक्रम सिंह S/o करनैल सिंह ग्राम मलपुरी सितारगंज	9927964699	बिक्रम सिंह
7.	गुरदीप चौहान S/o दरबारा सिंह सिसौना इरा सितारगंज	9837334403	गुरदीप सिंह
8.	दीपक पाण्डेय S/o गोपाल दत्त पाण्डेय ग्राम उकरौली सितारगंज	8279333964	दीपक पाण्डेय
9.	मदन लाल S/O राम ज्योति ग्राम - उकरौली - 1 सितारगंज	8802956666	
10.	मनजीत सिंह S/o श्री तर्लोक सिंह उकरौली	9759103665	
11.	रामकुमार S/o महेन्द्र राम उकरौली रामप्रवेश S/o शिवधनी उकरौली	9997306229 949325135	
12.	देवेन्दर सिंह S/o जगीर सिंह सुखदेव सिंह S/o केवल सिंह	9837053340 9837533075	
13.	बलजिन्दर सिंह S/- मुख्ताज सिंह गुरजीत सिंह S/o कुलवीर सिंह	9927120518 9897625505	
14.	Rupal Singh S/o. Kartar Singh	8449300007	
15.	ADEsh Reny	97194-66666	

	चन्द्रशेखर प्रमुख माची हाईकोर्ट	8958524254	[signature]
15.	[illegible] ग्रामीण [illegible] उकरौली	9837860499	[signature]
	कृपाल [illegible] उकरौली		[signature]
16.	रामकेवल उकरौली	9759093431	Ramkevl
17.	अमरजीत उकरौली(न)	9758246128	[signature]
18.	गाजी		
	श्रीपाल	9568252085	श्रीपाल
19.	Mahender Singh	9837418615	[signature]
20.	Kuldeep Singh [illegible]	9927063143	[signature]
21.	ग्राम प्रधान जसवन्त सिंह खैरोता	9837643900	[signature]
22.	Baljeet Singh	9927491735	[signature]
23.	राम नरेश	7466045198	राम नरेश
	[illegible] प्रसाद	9759040492	रामप्यारे
24.	शिवकुमार	9627220509	शिवकुमार
	मोहन कुमार		मोहन कुमार
25.	मुनाफीर		[signature]
26.	S.K. JUNEJA Reviner Inspector	8126992229	[signature]
	[illegible] प्रसाद		
27.	रंजीत कुमार		
	रंजीत कुमार		
28.	मुकेश कुमार		
	M.r. Mukesh Rastogi		[signature]
29.	रामचन्द्र शर्मा		
30.	राजेन्द्र प्रसाद		Rajend

Scanned by CamScanner

31.	सुरेन्द्र Ranjit रंजीत		Ranjit
32.	Kundan		[signature]
33.	Bhuskan		Ajay
34.	Sanjeet		Sanjeet
35.	[illegible]	9368823379	
36.	बलवीर सिंह	9927077343	[illegible]
37.	Chandrpal	9927875548	[signature]
38.	Manoj [illegible]	8979268435	[signature]
39.	बेदराम नरपत सिंह	9690276855 7830669018	
40.	उदयप्रताप सोनू कुमार	8534921746	
41.	Sanjay		
42.	Anand Kumar	8859502045	Anand
43.	[illegible]	9999498595	[signature]
	अशोक यादव	8630277791	अशोक
44.	[illegible]	9927606353	
45.	राजकुमार ग्राम [illegible]	8006192631	

Scanned by CamScanner

Date
Page
my companion

62	राजवीर सिंह (राजा)	9761661600	[illegible]
63	संदीप कुमार	9984896923	[illegible]
64	सौरभ तिवारी	8736813614	S.Tiwari
65	Mohit Sharma	7579902610	Mohit Sharma
66	Vipin choudhary	8937003331	Vipin
67	Kamlesh Arya	9639512202	Kamal
68	Lalit Singh Rawat	7351189243	Lalit
69	हरीश सिंह राणा	9639207873	हरीशसिंह
70	कालूराम	7409412664	[illegible]
71	मनीष		
72	रागीर	7500444881	[illegible]
73	राधेश्याम	8394489612	[illegible]
74	राजकुमार ग्राम मुड़ा पोलीमंदि	8006192631	[illegible]
75	Anil Roy	9012721821	[illegible]
76	[illegible]	7055628854	[illegible]
77	रिन्कू रस्तोगी	9720980468	[illegible]

Scanned by CamScanner

Date / / Page
mycompanion

78	राजू	9837878949	
	मोहन सिंह कार्की	9568589044	
79	शंकर कुमार	9927555013	
80	रविन्द्र कुमार	9720976922	
81	सुकवचन	9759091403	
82	Bharat Singh	7088668856	
83	Parminder Singh	9870932415	
84	Suraj Singh	7983081933	
85	Vipin kumar	9037681091	
86	Mandeep Singh	8126033368	
87	Ravneet Dhillon	9639400384	
88	Anil Singh	9799358654	
89	Manveer Singh	9690665097	
90	मक्खन सिंह	9756753678	
	Harish. Singh	8449511954	
91	Tarun Kumar	9026396932	
92	लक्ष्मी प्रसाद		
93	Jitender singh	9411198329	

Scanned by CamScanner

Date
Page

94	Mandeep Singh	9897856796	[illegible]
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			

07/9/19

Scanned by CamScanner